NEXT IAS

दैनिक समसामयिकी विश्लेषण

समय: 45 मिनट

दिनाँक: 01-10-2025

विषय सूची

» भारत-यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौता (TEPA) प्रभावी
» पर्यावरण निगरानी: प्रासंगिकता
» जलवायु परिवर्तन से अमेज़न वर्षावन के पेड़ों की वृद्धि में तेज
» केंद्र द्वारा पारस्परिक कानूनी सहायता संधि का आह्वान
» यूपीएससी के 100 वर्ष: योग्यता का संरक्षक
» ऐतिहासिक भारत-भूटान रेलवे परियोजनाएं कनेक्टिविटी में परिवर्तन लाने के लिए तैयार।

संक्षिप्त समाचार

» नासा ने इंटरस्टेलर मैपिंग एंड एक्सेलेरेशन प्रोब(IMAP))
» भारत मजबूत जनादेश के साथ आईसीएओ परिषद में पुनः निर्वाचित
» राष्ट्रपति अंगरक्षक को डायमंड जुबली सिल्वर ट्रंपेट और ट्रंपेट बैनर प्रदान किया गया
» पाक खाड़ी में भारत का प्रथम डुगोंग संरक्षण रिजर्व
» भुगतान नियामक बोर्ड (PRB)
» भारत में आकस्मिक मृत्यु और आत्महत्याएँ: एनसीआरबी रिपोर्ट (2023)
» मॉडल यूथ ग्राम सभा पहल
» बथुकम्मा महोत्सव ने बनाए दो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड
» नीतिगत प्रसारण को बेहतर बनाने के लिए RBI के नए बैंकिंग मानदंड
» निर्यातित उत्पादों पर शुल्कों और करों में छूट (RoDTEP) प्रोत्साहन योजना

भारत-यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौता (TEPA) प्रभावी

समाचार में

- भारत-यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ (EFTA) व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौता (TEPA) प्रभाव में आ गया है।

क्या आप जानते हैं?

- यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ (EFTA) आइसलैंड, लिकटेंस्टीन, नॉर्वे और स्विट्ज़रलैंड का एक अंतर-सरकारी संगठन है। इसकी स्थापना 1960 में इसके सात सदस्य देशों द्वारा मुक्त व्यापार और आर्थिक एकीकरण को बढ़ावा देने के लिए की गई थी।

भारत-EFTA व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौता (TEPA)

- TEPA एक आधुनिक और महत्वाकांक्षी समझौता है, जिसमें प्रथम बार भारत द्वारा हस्ताक्षरित किसी भी मुक्त व्यापार समझौते (FTA) में निवेश और रोजगार सृजन से जुड़ी प्रतिबद्धता को शामिल किया गया है।
  - यह समझौता मार्च 2024 में नई दिल्ली में हस्ताक्षरित हुआ था।
- यह 14 अध्यायों में विभाजित है, जिनका मुख्य फोकस वस्तुओं से संबंधित बाजार पहुंच, उत्पत्ति के नियम, व्यापार सुविधा, व्यापार उपाय, स्वच्छता और पादप स्वच्छता उपाय, व्यापार में तकनीकी बाधाएं, निवेश प्रोत्साहन, सेवाओं में बाजार पहुंच, बौद्धिक संपदा अधिकार, व्यापार एवं सतत विकास तथा अन्य कानूनी और क्षैतिज प्रावधानों पर है।

समझौते की प्रमुख विशेषताएं

- **बाजार पहुंच**: EFTA ने गैर-कृषि वस्तुओं पर 100% शुल्क समाप्ति और प्रसंस्कृत कृषि उत्पादों पर छोट देने का वादा किया है, जो भारत के 99.6% निर्यात को कवर करता है।
  - यह 15 वर्षों में 100 अरब अमेरिकी डॉलर के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को आकर्षित करने और भारत में 10 लाख प्रत्यक्ष रोजगार सृजन का लक्ष्य रखता है।
- **भारत की पेशकश**: 82.7% शुल्क लाइनों (EFTA के 95.3% निर्यात) को कवर करती है, जिसमें फार्मा, खाद्य, डेयरी और सोने जैसे संवेदनशील क्षेत्रों के लिए सुरक्षा दी गई है।
- **सेवाएं और गतिशीलता**: भारत और EFTA ने 100 से अधिक उप-क्षेत्रों में बाजार पहुंच की पेशकश की है।
  - समझौता डिजिटल सेवा वितरण, वाणिज्यिक उपस्थिति और पेशेवरों के अस्थायी प्रवास की अनुमति देता है।
  - यह नर्सिंग और लेखांकन जैसे पेशों में पारस्परिक मान्यता समझौतों को सक्षम बनाता है।
- **बौद्धिक संपदा**: समझौता TRIPS स्तर के IPR मानकों को बनाए रखता है, भारत की जेनेरिक दवा हितों की रक्षा करता है और सतत विकास को बढ़ावा देता है।
- **सततता और कौशल**: सतत विकास, व्यावसायिक प्रशिक्षण और स्वास्थ्य विज्ञान, नवीकरणीय ऊर्जा और अनुसंधान एवं विकास जैसे क्षेत्रों में तकनीकी सहयोग पर ध्यान केंद्रित करता है।
- **क्षेत्रीय लाभ**: मशीनरी, रसायन, वस्त्र और प्रसंस्कृत खाद्य जैसे क्षेत्रों के भारतीय निर्यातकों को कम शुल्क और EFTA बाजारों तक आसान पहुंच का लाभ मिलेगा।

महत्व

- **रणनीतिक यूरोपीय जुड़ाव**: EFTA यूरोपीय संघ और यूके के साथ तीन प्रमुख यूरोपीय आर्थिक ब्लॉकों में से एक है।
  - EFTA की उन्नत अर्थव्यवस्थाएं, विशेष रूप से स्विट्ज़रलैंड एवं नॉर्वे, वित्त, इंजीनियरिंग, खाद्य और स्वास्थ्य विज्ञान में दृढ संभावनाएं प्रदान करती हैं।
- **निर्यात को बढ़ावा**: मशीनरी, रसायन, वस्त्र और प्रसंस्कृत खाद्य जैसे क्षेत्रों को उच्च मूल्य वाले यूरोपीय बाजारों तक बेहतर पहुंच मिलेगी।
- **रोजगार सृजन और कौशल विकास**: TEPA से रोजगार उत्पन्न होने और भारत की मानव पूंजी को बढ़ावा मिलने की संभावना है।

- **द्विपक्षीय संबंधों को मजबूती**: विशेष रूप से स्विट्ज़रलैंड के साथ, जो भारत का सबसे बड़ा EFTA व्यापारिक भागीदार है।

चुनौतियां

- **संवेदनशील क्षेत्र सुरक्षा**: भारत ने फार्मा, डेयरी, कोयला और प्रसंस्कृत खाद्य जैसे क्षेत्रों को बाहर रखा है या सावधानीपूर्वक वार्ता की है।
- फार्मा, चिकित्सा उपकरण, प्रसंस्कृत खाद्य, डेयरी, सोया, कोयला और संवेदनशील कृषि उत्पादों जैसे क्षेत्रों को संरक्षित किया गया है।
- **व्यापार असंतुलन**: भारत में EFTA के 80% से अधिक निर्यात सोना है, जिससे पारस्परिक व्यापार लाभों पर चिंता उत्पन्न होती है।
- **कार्यान्वयन की जटिलता**: विविध क्षेत्रों और नियामक ढांचों में समन्वय करना चुनौतीपूर्ण हो सकता है।
- **सीमित बाजार आकार**: EFTA की जनसंख्या छोटी है, हालांकि इसका GDP बड़ा है।

निष्कर्ष और आगे की राह

- TEPA भारत को नवाचार, विनिर्माण और वैश्विक व्यापार के केंद्र के रूप में स्थापित करता है और भारतीय निर्यातकों के लिए नए द्वार खोलता है।
- यह भारत-यूरोप संबंधों में विकास, प्रौद्योगिकी और सततता द्वारा संचालित एक नए चरण का प्रतीक है।
- TEPA भारत की व्यापार कूटनीति में एक परिवर्तनकारी बदलाव का प्रतिनिधित्व करता है—जो बाजार पहुंच, निवेश और रोजगार को एक ही ढांचे में एकीकृत करता है।
- TEPA वस्तुओं और सेवाओं के लिए बाजार पहुंच को बढ़ाता है, बौद्धिक संपदा अधिकारों को सुदृढ़ करता है और सतत, समावेशी विकास को बढ़ावा देता है, साथ ही 'मेक इन इंडिया' एवं 'आत्मनिर्भर भारत' पहलों का समर्थन करता है।

Source :PIB

पर्यावरण निगरानी: प्रासंगिकता

संदर्भ

- पर्यावरण निगरानी आधुनिक सार्वजनिक स्वास्थ्य और पारिस्थितिकी प्रबंधन में एक महत्वपूर्ण उपकरण के रूप में उभरी है, क्योंकि यह वैज्ञानिकों एवं नीति निर्माताओं को रोग प्रकोप के प्रारंभिक संकेतों का पता लगाने, प्रदूषण की निगरानी करने तथा पारिस्थितिक तंत्र की सुरक्षा करने की अनुमति देती है।

पर्यावरण निगरानी के बारे में

- बैक्टीरिया, वायरस और परजीवी कीट जैसे रोगजनक जो मनुष्यों और जानवरों में बीमारियाँ उत्पन्न करते हैं, उन्हें नैदानिक सेटिंग्स के बाहर पर्यावरण की निगरानी करके ट्रैक किया जा सकता है।
- यह अपशिष्ट जल, वायु, मृदा और यहां तक कि सार्वजनिक स्थानों में ऑडियो रिकॉर्डिंग जैसे स्रोतों से नमूने एकत्र करने और उनका विश्लेषण करने की प्रक्रिया है।
- ये नमूने रोगजनकों, प्रदूषकों या सार्वजनिक स्वास्थ्य जोखिमों के अन्य संकेतकों की उपस्थिति को उजागर कर सकते हैं।

अपशिष्ट जल निगरानी कैसे कार्य करती है?

- **नमूना संग्रह विधियाँ**: नमूने सीवेज उपचार संयंत्रों, अस्पताल के अपशिष्ट, और रेलवे स्टेशन व हवाई जहाज के शौचालय जैसे सार्वजनिक स्थानों से एकत्र किए जाते हैं।
  - ये नमूने मल, मूत्र और अन्य जैविक अपशिष्ट के माध्यम से उत्सर्जित रोगजनकों को शामिल करते हैं।
- **ज्ञात रोगजनकों के प्रकार**:
  - वायरल और बैक्टीरियल संक्रमण (जैसे COVID-19, खसरा, हैजा, पोलियो);
  - परजीवी कीट जैसे राउंडवर्म और हुकवर्म की बीमारियाँ अपशिष्ट जल और मृदा के नमूनों के माध्यम से;

महत्व

- **पारंपरिक पहचान की सीमाएँ**: पारंपरिक नैदानिक मामले की पहचान रोगी परीक्षण पर निर्भर करती है। हालांकि:
  - सभी संक्रमित व्यक्ति लक्षण नहीं दिखाते;
  - हल्के मामलों का परीक्षण नहीं हो सकता;
  - नैदानिक डेटा वास्तविक संक्रमण स्तरों को कम करके दर्शा सकता है।
- **प्रारंभिक चेतावनी लाभ**: पर्यावरण निगरानी अपशिष्ट जल में रोगजनकों के स्तर का पता नैदानिक मामलों के बढ़ने से एक सप्ताह पहले लगा सकती है।
  - यह स्वास्थ्य अधिकारियों को प्रकोप की आशंका करने और समय पर हस्तक्षेप की तैयारी करने की अनुमति देती है।
- **गैर-आक्रामक निगरानी**: पर्यावरण निगरानी को पारंपरिक परीक्षणों की तरह व्यक्तिगत भागीदारी की आवश्यकता नहीं होती।
  - यह समुदाय स्तर पर स्वास्थ्य प्रवृत्तियों को गुमनाम और कुशलता से ट्रैक कर सकती है।
- **उभरते खतरों की निगरानी**: पर्यावरण निगरानी जंगली और घरेलू पक्षियों की जनसंख्या में एवियन इन्फ्लूएंजा जैसे वायरस की निगरानी में सहायता करती है, जो बढ़ती ज़ूनोटिक बीमारियों एवं पर्यावरणीय परिवर्तनों के साथ जुड़ी हैं।
- **पारिस्थितिकी तंत्र की सुरक्षा**: निगरानी भूमि आधारित प्रदूषण स्रोतों का पता लगाने में भी सहायता करती है, जिससे स्वच्छ जल और समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र संरक्षित रहते हैं।
- **सार्वजनिक स्वास्थ्य योजना**: किसी समुदाय में वायरल लोड को समझना संसाधनों के आवंटन, अस्पतालों की तैयारी और टीकाकरण अभियानों को मार्गदर्शन देने में सहायता करता है।

भारत का वर्तमान दृष्टिकोण

- **अपशिष्ट जल महामारी विज्ञान का अभ्यास**: इसका उपयोग 40 वर्षों से खसरा, हैजा और पोलियो जैसी बीमारियों को ट्रैक करने के लिए किया जा रहा है।
  - **भारत की प्रथम पहल:** मुंबई में पोलियो निगरानी (2001)।
  - **COVID-19 महामारी:** अपशिष्ट जल कार्यक्रमों का विस्तार पाँच भारतीय शहरों तक हुआ, जो वर्तमान में जारी हैं।
- **भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (ICMR)** ने 50 शहरों में 10 वायरस की अपशिष्ट जल निगरानी शुरू करने की योजना की घोषणा की है।
  - इसमें एवियन इन्फ्लूएंजा और अन्य उच्च जोखिम वाले रोगजनकों की निगरानी शामिल है।

चुनौतियाँ और सुधार

- बेहतर डेटा साझाकरण और प्रोटोकॉल मानकीकरण की आवश्यकता;
- अलग-थलग परियोजनाओं के बजाय कार्यक्रमात्मक, दीर्घकालिक ढांचे का विकास;
- अपशिष्ट जल निगरानी को नियमित सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणालियों के साथ एकीकृत करना;

भविष्य की राह

- उभरती विधियाँ अपशिष्ट जल से परे पर्यावरण निगरानी का विस्तार करती हैं:
  - **ऑडियो निगरानी**: मशीन लर्निंग सार्वजनिक स्थानों में खांसी की आवाज़ों का विश्लेषण कर श्वसन रोगों की व्यापकता का अनुमान लगा सकती है।
  - **विस्तृत पर्यावरणीय डेटा**: अपशिष्ट जल, वायु और मृदा की निगरानी को मिलाकर एक अधिक समग्र प्रारंभिक चेतावनी नेटवर्क बनाया जा सकता है।

Source: TH

जलवायु परिवर्तन से अमेज़न वर्षावन के पेड़ों की वृद्धि में तेज

संदर्भ

- नेचर प्लांट्स में प्रकाशित एक हालिया अध्ययन से पता चलता है कि अमेज़न वर्षावनों में पेड़ लगातार बड़े होते जा रहे हैं, जिसका कारण वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड (CO_2) के स्तर में वृद्धि है।

अध्ययन के प्रमुख निष्कर्ष

- **पेड़ों की वृद्धि**: अमेज़न के पेड़ बड़े हो रहे हैं, जिनका औसत व्यास प्रति दशक लगभग 3.3% बढ़ रहा है।
- **CO_2 स्तर में वृद्धि**: विगत 30 वर्षों में लगभग 20% की वृद्धि हुई है, जिससे कार्बन उर्वरीकरण प्रभाव उत्पन्न हुआ है, जिसमें उच्च CO_2 प्रकाश संश्लेषण को बढ़ाता है और वृद्धि को तेज करता है।
- **वन संरचना में बदलाव**: बड़े, छत्र-स्तरीय पेड़ों की तेज़ वृद्धि छोटे पेड़ों की संख्या में गिरावट के साथ हो रही है। यह वन की संरचना और जैव विविधता को मौलिक रूप से बदल देता है।

अमेज़न वर्षावन

- **स्थान**: यह क्षेत्र दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप के नौ देशों में फैला है।
  - यह उत्तर में गयाना हाइलैंड्स, पश्चिम में एंडीज पर्वत, दक्षिण में ब्राज़ील का केंद्रीय पठार और पूर्व में अटलांटिक महासागर से घिरा है।
- **आवृत्त क्षेत्र**: वन का अधिकांश भाग, 60%, ब्राज़ील में है, इसके बाद पेरू में 13%, कोलंबिया में 10%, और थोड़ी मात्रा में बोलीविया, इक्वाडोर, फ्रेंच गयाना, गयाना, सूरीनाम और वेनेज़ुएला में है।
- **जलवायु**: पूरे वर्ष 26-30°C तापमान के साथ गर्म और आर्द्र जलवायु।
  - कोई मौसमी परिवर्तन नहीं होते।
  - वार्षिक वर्षा 2,000 मिमी से 10,920 मिमी तक होती है।
- **जनजातियाँ**: यानोमामो, कायापो, अकुंत्सु, मैटसेस, टुपी आदि।
- **प्राणी जगत**: एनाकोंडा, जीसस छिपकली, हाउलर बंदर, गोल्डन लायन टैमरिन, जगुआर, स्लॉथ, स्पाइडर मंकी, अमेज़न रिवर डॉल्फिन, टूकेन और स्कार्लेट मैकॉ, पॉइज़न डार्ट फ्रॉग और ग्लास फ्रॉग।
- **वनस्पति जगत**: आर्द्र चौड़ी पत्ती वाले उष्णकटिबंधीय वर्षावन जैसे मर्टल, लॉरेल, पाम, अकैशिया, रोज़वुड, ब्राज़ील नट, रबर ट्री, महोगनी और अमेज़नियन सीडर।

वर्षावनों का महत्व

- **पृथ्वी के फेफड़े**: वर्षावन विश्व के लगभग 20% ऑक्सीजन का उत्पादन करते हैं और इसके पेड़ प्रदूषकों के स्तर को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
- **जलवायु परिवर्तन का सामना** : ये वैश्विक जलवायु परिवर्तन के खिलाफ एक महत्वपूर्ण बफर के रूप में कार्य करते हैं क्योंकि इनमें कार्बन को संग्रहीत करने की अपार क्षमता होती है।
  - अनुमान है कि अमेज़न वर्षावन में लगभग 150-200 अरब टन कार्बन संग्रहीत है।
- **जैव विविधता**: वर्षावन पौधों और जानवरों की विशाल विविधता का घर हैं, जिनमें से कई केवल यहीं पाए जाते हैं और कुछ संकटग्रस्त हैं।
- **औषधीय गुण**: इनमें से कई पौधों में जैव सक्रिय यौगिक होते हैं जो विशेष रूप से कैंसर जैसी अभी तक लाइलाज बीमारियों के उपचार में सक्षम हैं।

वर्षावनों के लिए खतरे

- **जलवायु परिवर्तन**: जलवायु परिवर्तन के कारण वर्षावन विभिन्न चुनौतियों का सामना कर रहे हैं जैसे वर्षा पैटर्न में बदलाव, प्रदूषण आदि।
- **वनों की कटाई**: लकड़ी प्राप्त करने और चरागाह व कृषि भूमि बनाने के लिए बसने वालों द्वारा भूमि की सफाई के कारण अमेज़न वन का आकार बहुत तीव्रता से घट गया है।
- **वनाग्नि**: यह पारिस्थितिकी तंत्र और जैव विविधता के अस्तित्व के लिए खतरा उत्पन्न करती है।
  - 2019 की वनाग्नि ने क्षेत्र में व्यापक रूप से विनाश किया।

अमेज़न वर्षावन की रक्षा के लिए पहलें

- **ब्राज़ील का वन संहिता (2012)**: एक प्रमुख कानून जो अमेज़न में भूमि मालिकों को अपनी भूमि का एक विशिष्ट प्रतिशत (80% तक) कानूनी वन आरक्षित के रूप में बनाए रखने की आवश्यकता करता है ताकि देशी वनस्पति और जैव विविधता का संरक्षण हो सके।
- **अमेज़न सहयोग संधि संगठन (ACTO, 1978)**: आठ अमेज़न देश (ब्राज़ील, पेरू, कोलंबिया, बोलीविया, इक्वाडोर, वेनेज़ुएला, गयाना, सूरीनाम) सतत विकास और संरक्षण पर सहयोग करते हैं।
- **UN REDD+ कार्यक्रम**: वनों की कटाई और वन क्षरण से उत्सर्जन को कम करने में देशों का समर्थन करता है, साथ ही सतत प्रबंधन को बढ़ावा देता है।
- **अमेज़न फंड (2008)**: ब्राज़ील द्वारा नॉर्वे और जर्मनी के समर्थन से स्थापित; वनों की कटाई को रोकने, निगरानी करने तथा उससे लड़ने के प्रयासों को वित्तपोषित करता है।

निष्कर्ष

- वर्षावन प्रकृति के जीवित अभिलेख हैं, जो अपूरणीय जैव विविधता को संजोए हुए हैं और पृथ्वी की जलवायु को नियंत्रित करते हैं।
- इनकी सुरक्षा केवल एक पर्यावरणीय आवश्यकता नहीं है बल्कि मानवता के भविष्य की सुरक्षा है, जो पारिस्थितिक स्वास्थ्य को सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक लचीलापन से जोड़ती है।

Source: IE

केंद्र द्वारा पारस्परिक कानूनी सहायता संधि का आह्वान

संदर्भ

- भारत ने औपचारिक रूप से सिंगापुर के साथ पारस्परिक कानूनी सहायता संधि (Mutual Legal Assistance Treaty - MLAT) को लागू किया है, ताकि दक्षिण-पूर्व एशियाई देश में गायक जुबिन गर्ग की मृत्यु की जांच में सहयोग प्राप्त किया जा सके।

पारस्परिक कानूनी सहायता (Mutual Legal Assistance)

- पारस्परिक कानूनी सहायता एक ऐसा तंत्र है जिसके माध्यम से देश अपराध की रोकथाम, दमन, जांच और अभियोजन में औपचारिक सहायता प्रदान करने तथा प्राप्त करने के लिए एक-दूसरे के साथ सहयोग करते हैं।
- **उद्देश्य:** यह सुनिश्चित करना कि अपराधी विभिन्न देशों में उपलब्ध साक्ष्यों की कमी के कारण कानून की प्रक्रिया से बच न सकें या उसे बाधित न कर सकें।
- भारत द्विपक्षीय/बहुपक्षीय समझौतों, अंतरराष्ट्रीय अभिसंधियों या पारस्परिकता के आश्वासन के आधार पर आपराधिक मामलों में परस्पर कानूनी सहायता प्रदान करता है।
- भारत ने 45 से अधिक देशों के साथ MLAT पर हस्ताक्षर किए हैं।
- नोडल मंत्रालय: गृह मंत्रालय (Ministry of Home Affairs - MHA)

MLAT का उल्लेखनीय उपयोग

- **2G स्पेक्ट्रम मामला (2010–2012):** जांच एजेंसियों ने UAE, मॉरीशस और UK जैसे देशों से कॉल डेटा रिकॉर्ड और वित्तीय साक्ष्य प्राप्त किए।
  - मनी लॉन्ड्रिंग श्रृंखला में कड़ियाँ स्थापित करने में सहायता मिली।
- **अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर घोटाला (2013 से आगे):** भारत ने इटली, मॉरीशस, सिंगापुर और UK से साक्ष्य प्राप्त करने के लिए MLAT अनुरोध भेजे।
- **नीरव मोदी और मेहुल चोकसी (PNB घोटाला, 2018):** भारत ने हांगकांग, सिंगापुर, स्विट्ज़रलैंड और UAE को MLAT अनुरोध भेजे ताकि संपत्तियों का पता लगाया जा सके तथा वित्तीय साक्ष्य एकत्र किए जा सकें।
  - संपत्ति जब्ती और प्रत्यर्पण प्रक्रिया को मजबूत करने में सहायता मिली।

उद्देश्य और प्रमुख प्रावधान

- **उद्देश्य:**
  - अपराधों की जांच और अभियोजन को सुगम बनाना।
  - साक्ष्य और जानकारी का शीघ्र आदान-प्रदान सुनिश्चित करना।
  - लंबी कूटनीतिक प्रक्रियाओं का विकल्प प्रदान करना।
- **प्रावधान:**
  - दस्तावेज़ों, रिकॉर्ड और साक्ष्यों का आदान-प्रदान।
  - व्यक्तियों की पहचान और स्थान का पता लगाना।
  - गवाहों की जांच।
  - संपत्तियों की तलाशी और जब्ती।
  - संपत्ति पुनर्प्राप्ति, ज़ब्ती और राजस्व वसूली में सहायता।
  - न्यायिक दस्तावेजों की सेवा।
  - गवाही के लिए व्यक्तियों का स्थानांतरण।

MLAT में चुनौतियाँ

- **समय लेने वाली प्रक्रिया:** नौकरशाही बाधाओं के कारण अनुरोधों में प्रायः महीनों लग जाते हैं।
- **कानूनी प्रणालियों में असमानता:** विभिन्न देशों में साक्ष्य मानकों, स्वीकार्यता नियमों और न्यायिक प्रक्रियाओं में भिन्नता होती है।
  - कुछ अनुरोध स्थानीय कानूनी आवश्यकताओं को पूरा न करने के कारण अस्वीकार कर दिए जाते हैं।
- **सीमित कवरेज:** भारत के पास सभी देशों के साथ MLAT नहीं हैं, जिससे उन क्षेत्रों में सहयोग बाधित होता है जहां संधियाँ नहीं हैं।
- **डिजिटल साक्ष्य की समस्याएँ:** बढ़ते साइबर अपराधों के कारण सर्वर लॉग, ईमेल, क्लाउड डेटा तक त्वरित पहुंच की आवश्यकता है।
  - बड़ी तकनीकी कंपनियाँ प्रायः उन देशों में स्थित होती हैं जहां भारत के पास तेज़ MLAT पहुंच नहीं है।
- **संप्रभुता और गोपनीयता संबंधी चिंताएँ:** देश संवेदनशील जानकारी साझा करने से संकोच करते हैं, संप्रभुता या डेटा संरक्षण कानूनों का उदाहरण देते हुए।
- **संसाधन की कमी:** कई विकासशील देशों के पास प्रशिक्षित कर्मियों, बुनियादी ढांचे और MLAT अनुरोधों को कुशलतापूर्वक संसाधित करने की क्षमता की कमी होती है।

महत्व

- **अंतरराष्ट्रीय अपराधों से निपटना:** यह सीमा पार अपराधों जैसे आतंकवाद, मादक पदार्थों की तस्करी, मानव तस्करी, साइबर अपराध और धन शोधन की जांच और अभियोजन के लिए एक कानूनी तंत्र प्रदान करता है।
- **तेज़ और विश्वसनीय साक्ष्य साझा करना:** अनौपचारिक चैनलों या कूटनीतिक मार्गों के विपरीत, MLATs एक प्रत्यक्ष, कानूनी रूप से बाध्यकारी ढांचा प्रदान करते हैं जो स्वीकार्य साक्ष्य एकत्र करने और साझा करने में सहायता करता है।
- **आतंकवाद विरोधी प्रयासों को मजबूत करना:** आतंकवाद वित्तपोषण का पता लगाने, ऑपरेटिव की पहचान करने और अंतरराष्ट्रीय आतंकवादी नेटवर्क को समाप्त करने में सहायता करता है।
- **वित्तीय अपराधों से लड़ना:** भ्रष्टाचार, धोखाधड़ी और विदेशों में जमा काले धन से प्राप्त संपत्तियों का पता लगाने, उन्हें फ्रीज़ करने और ज़ब्त करने में सहायता करता है।
- **कानून का शासन और पारस्परिक विश्वास को बढ़ावा देना:** कानूनी सहयोग को बढ़ाता है और देशों के बीच विश्वास निर्माण करता है।
- **राजनयिक संबंधों को सुदृढ़ करना:** MLATs कानून और सुरक्षा के संवेदनशील क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ावा देकर द्विपक्षीय और बहुपक्षीय संबंधों को गहरा करते हैं।

अन्य तंत्र

- **प्रत्यर्पण संधियाँ:** इसका उद्देश्य एक आरोपी/दोषी व्यक्ति को मुकदमे का सामना करने या सजा काटने के लिए एक देश से दूसरे देश में स्थानांतरित करना है।
  - **भारत की स्थिति:** भारत ने UK, USA, फ्रांस, UAE सहित 40 से अधिक देशों के साथ प्रत्यर्पण संधियाँ की हैं।
- **लेटर रोगेटरी (LRs):** ये भारतीय अदालत से विदेशी अदालत को न्यायिक सहायता के लिए औपचारिक अनुरोध होते हैं जैसे साक्ष्य संग्रह, समन की सेवा।
  - यह कूटनीतिक चैनलों के माध्यम से किया जाता है और आमतौर पर MLAT की तुलना में धीमा होता है।
- **इंटरपोल तंत्र:** यह निम्नलिखित उपकरणों का उपयोग करता है:
  - रेड नोटिस – प्रत्यर्पण की प्रतीक्षा में किसी व्यक्ति को ढूंढने और अस्थायी रूप से गिरफ्तार करने का अनुरोध।
  - ब्लू/ग्रीन नोटिस – जानकारी एकत्र करने के लिए।
  - भारत इनका उपयोग तब करता है जब द्विपक्षीय MLAT/प्रत्यर्पण संधियाँ मौजूद नहीं होतीं।

Source: TH

यूपीएससी के 100 वर्ष: योग्यता का संरक्षक

संदर्भ

- संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) 1 अक्टूबर को अपनी स्थापना के सौ वर्ष पूरे कर रहा है।

परिचय

- **स्थापना**: भारत सरकार अधिनियम, 1919 ने प्रथम बार ऐसे निकाय का प्रावधान किया था, और अक्टूबर 1926 में ली आयोग (1924) की सिफारिशों के आधार पर लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई।
  - बाद में इसे 1937 में संघीय लोक सेवा आयोग कहा गया, और भारत के संविधान को अपनाने के साथ 26 जनवरी 1950 को इसका नाम संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) रखा गया।
- UPSC भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS), भारतीय विदेश सेवा (IFS), भारतीय पुलिस सेवा (IPS) सहित अन्य सेवाओं के लिए अधिकारियों के चयन हेतु सिविल सेवा परीक्षा आयोजित करता है।
- **सदस्य**: अध्यक्ष के अतिरिक्त इसमें अधिकतम 10 सदस्य हो सकते हैं।
  - UPSC अध्यक्ष को छह वर्ष की अवधि या 65 वर्ष की आयु तक नियुक्त किया जाता है, सभी सदस्यों की अवधि समान होती है।
- **पुनर्नियुक्ति**: UPSC अध्यक्ष को कार्यकाल पूरा होने के बाद पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र नहीं माना जाता।
- **पदच्युति(अनुच्छेद 317)**: राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है:
  - केवल दुर्व्यवहार के आधार पर हटाया जा सकता है।
  - इसके लिए सर्वोच्च न्यायालय की जांच और दुर्व्यवहार की पुष्टि करने वाली रिपोर्ट आवश्यक होती है।
  - राष्ट्रपति द्वारा सर्वोच्च न्यायालय को संदर्भित किया जाता है।
  - सर्वोच्च न्यायालय की जांच के बिना हटाया जा सकता है यदि व्यक्ति: दिवालिया घोषित हो, कार्यालय कर्तव्यों के बाहर भुगतान वाली नौकरी करता हो, मानसिक या शारीरिक अक्षमता के कारण अयोग्य हो।

सिविल सेवा दिवस

- सिविल सेवा दिवस प्रत्येक वर्ष 21 अप्रैल को मनाया जाता है, इस दिन 1947 में सरदार वल्लभभाई पटेल ने मेटकाफ हाउस, नई दिल्ली में सिविल सेवकों के प्रथम बैच को संबोधित किया था।
- उन्होंने सिविल सेवकों को "भारत की स्टील फ्रेम" कहा था, और देश की एकता एवं अखंडता बनाए रखने में उनकी भूमिका को रेखांकित किया था।

भारत में सिविल सेवाओं का इतिहास

- लॉर्ड कॉर्नवालिस को भारत में सिविल सेवाओं का 'जनक' माना जाता है।
- लॉर्ड वेलेजली ने 1800 में कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की थी ताकि सिविल सेवा के लिए युवाओं को शिक्षित किया जा सके।
  - लेकिन कंपनी के निदेशकों ने 1806 में इसे हटाकर इंग्लैंड के हेलेबरी में ईस्ट इंडियन कॉलेज की स्थापना की।
- चार्टर अधिनियम 1853 ने संरक्षण प्रणाली को समाप्त कर दिया और खुली प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षा की शुरुआत की।
- भारतीय सिविल सेवा (ICS) के लिए प्रथम प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षा 1855 में लंदन में आयोजित की गई थी।
- सत्येन्द्रनाथ टैगोर ICS पास करने वाले प्रथम भारतीय थे (1864)।
- 1922 से भारतीय सिविल सेवा परीक्षा भारत में आयोजित की जाने लगी।

संवैधानिक प्रावधान

- अनुच्छेद 309 संसद और राज्य विधानसभाओं को भर्ती और सेवा शर्तों को विनियमित करने का अधिकार देता है।
- अनुच्छेद 310 के अनुसार, संघ और राज्य के सिविल सेवक राष्ट्रपति या राज्यपाल की प्रसादपर्यंत पद पर बने रहते हैं।
- अनुच्छेद 311 सिविल सेवकों को मनमाने बर्खास्तगी से सुरक्षा प्रदान करता है।
- अनुच्छेद 312 अखिल भारतीय सेवाओं जैसे IAS, IPS और IFS के निर्माण की प्रक्रिया को परिभाषित करता है।
- अनुच्छेद 315 से 323 तक संघ (UPSC) और प्रत्येक राज्य (SPSC) के लिए लोक सेवा आयोगों की स्थापना का प्रावधान है।

शासन में सिविल सेवाओं की भूमिका

- **सेवा वितरण**: ये कल्याणकारी योजनाओं का प्रशासन करते हैं और यह सुनिश्चित करते हैं कि सार्वजनिक सेवाएं अंतिम लाभार्थियों तक पहुँचें।
- **कानून और व्यवस्था बनाए रखना**: सिविल सेवक कानून का पालन कर शांति, न्याय और सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं तथा कानून प्रवर्तन एजेंसियों के साथ समन्वय करते हैं।
- **चुनाव**: स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों के संचालन में इनकी भूमिका महत्वपूर्ण रही है, साथ ही केंद्र एवं राज्यों में सत्ता के सुचारू हस्तांतरण में भी।
- **निरंतर प्रशासन**: कई बार जब राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू हुआ, तब सिविल सेवाओं ने प्रशासन को बिना बाधा के जारी रखा।
- **नीति निर्माण**: ये सरकार को नीति निर्माण में परामर्श देते हैं और राजनीतिक कार्यपालिका द्वारा बनाई गई नीतियों को लागू करते हैं।

सिविल सेवाओं द्वारा सामना की जाने वाली चुनौतियाँ

- **राजनीतिक पक्षपात**: कभी-कभी सिविल सेवकों की निष्पक्षता की कमी से महत्वपूर्ण कार्यों में राजनीतिक पक्षपात उत्पन्न होता है।
  - इसका कारण और परिणाम नौकरशाही के सभी पहलुओं में बढ़ती राजनीतिक दखलंदाजी है, जैसे पदस्थापन एवं स्थानांतरण।
- **विशेषज्ञता की कमी**: सामान्य प्रशासनिक पृष्ठभूमि वाले कैरियर नौकरशाह तकनीकी चुनौतियों से निपटने के लिए आवश्यक विशेषज्ञता से वंचित हो सकते हैं।
- **लालफीताशाही**: अत्यधिक प्रक्रियात्मक औपचारिकताएं निर्णय लेने में देरी करती हैं और समय पर सेवा वितरण में बाधा डालती हैं।
- **मानसिक स्वास्थ्य समस्याएँ**: उच्च दबाव वाले वातावरण और लंबे कार्य घंटे सिविल सेवकों की मानसिक स्थिति को प्रभावित करते हैं।
- **नवाचार का प्रतिरोध**: कठोर प्रशासनिक संस्कृति प्रयोग और नई प्रथाओं को अपनाने से हतोत्साहित करती है।

- **पुराने नियम और प्रक्रियाएं**: कई सेवा नियम उपनिवेशकालीन विरासत हैं जो आधुनिक शासन की आवश्यकताओं के अनुकूल नहीं हैं।

नौकरशाही की दक्षता बढ़ाने के लिए शासन सुधार

- **मिशन कर्मयोगी राष्ट्रीय कार्यक्रम**: भारत सरकार का प्रमुख कार्यक्रम, जिसे 2020 में सिविल सेवकों के प्रशिक्षण हेतु शुरू किया गया। इसका उद्देश्य सिविल सेवाओं को 'नियम आधारित' से 'भूमिका आधारित' और नागरिक केंद्रित कार्यप्रणाली में बदलना है।
- **सिविल सेवाओं में लैटरल एंट्री**: विषय विशेषज्ञता लाने और प्रशासन में प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने के लिए।
- **ई-गवर्नेंस पहलें**:
  - CPGRAMS – शिकायत निवारण के लिए केंद्रीकृत सार्वजनिक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली।
  - SPARROW – प्रदर्शन मूल्यांकन के लिए।
  - सेवा रिकॉर्ड का डिजिटलीकरण।

निष्कर्ष

- सिविल सेवक भारत की विकास और शासन की दिशा को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जिन्हें प्रायः "विकसित भारत के वास्तुकार" कहा जाता है।
- हालाँकि इसे इसकी पेशेवरता और संस्थागत स्थिरता के लिए सराहा गया है, लेकिन यह देरी, प्रक्रियात्मक कठोरता एवं आधुनिक आवश्यकताओं के अनुकूलन जैसी चुनौतियों का भी सामना करता है।
- पारदर्शिता, दक्षता और जवाबदेही को सुदृढ़ करके नौकरशाही भारत की लोकतांत्रिक प्रणाली के एक प्रभावी स्तंभ के रूप में कार्य करना जारी रख सकती है।

Source: TH

ऐतिहासिक भारत-भूटान रेलवे परियोजनाएं कनेक्टिविटी में परिवर्तन लाने के लिए तैयार

संदर्भ

- केंद्र सरकार ने दो सीमा-पार रेलवे परियोजनाओं की घोषणा की है, जो भूटान को असम और पश्चिम बंगाल के सीमावर्ती क्षेत्रों से जोड़ेंगी।

पृष्ठभूमि

- इन दोनों परियोजनाओं की उत्पत्ति भारत और भूटान के बीच 2005 में हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन (MoU) में निहित है।
- **गेलफू और समतसे क्यों?**
  - गेलफू और समतसे भूटान के प्रमुख निर्यात-आयात केंद्र हैं और 700 किमी लंबी भारत-भूटान सीमा साझा करते हैं।
  - गेलफू को "माइंडफुलनेस सिटी" के रूप में और समतसे को एक औद्योगिक नगर के रूप में भूटान सरकार द्वारा विकसित किया जा रहा है।

रेलवे परियोजनाओं के बारे में

- **कोकराझार–गेलफू लाइन**: यह भूटान के सारपांग जिले को असम के कोकराझार और चिरांग जिलों से जोड़ेगी।
  - इसे त्वरित अनुमोदन और भूमि अधिग्रहण के लिए विशेष रेलवे परियोजना घोषित किया गया है।
  - यह 69 किमी लंबी होगी और इसकी अनुमानित लागत ₹3,456 करोड़ है।
- **बनारहाट–समतसे लाइन**: यह भूटान के समतसे जिले को पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी जिले से जोड़ेगी।
  - यह लाइन 20 किमी लंबी होगी और इसकी अनुमानित लागत ₹577 करोड़ है।

परियोजना का महत्व भूटान के साथ संबंधों को सुदृढ़ करना

- **विकास सहायता**: यह पहल भारत की भूटान के सबसे बड़े विकास साझेदार के रूप में दीर्घकालिक भूमिका पर आधारित है और हाल ही में भूटान की 13वीं पंचवर्षीय योजना के लिए लगभग $1.2 बिलियन की प्रतिबद्धता को आगे बढ़ाती है।

- **संपर्क में वृद्धि**: यात्रियों और माल की सुगम आवाजाही को बढ़ावा देने से लोगों के बीच संपर्क और सांस्कृतिक आदान-प्रदान को बल मिलेगा।

व्यापार में वृद्धि

- **सुगम संपर्क**: स्थल-रुद्ध भूटान के लिए ये रेलवे लिंक भारतीय बंदरगाहों और बाजारों तक निर्बाध पहुंच प्रदान करेंगे, जिससे इसके निर्यात के लिए माल भाड़ा लागत में उल्लेखनीय कमी आएगी।
- **प्रमुख केंद्रों को सशक्त बनाना**: नई रेल लाइनें गेलफू को एक वाणिज्यिक केंद्र और समतसे को एक औद्योगिक केंद्र के रूप में आर्थिक विकास में सहयोग देंगी।
- **मुक्त व्यापार पहुंच**: भूटान के शीर्ष व्यापारिक भागीदार के रूप में, ये परियोजनाएं दोनों देशों के बीच 2016 के मुक्त व्यापार समझौते के लाभों को और बढ़ाएंगी।

चीन के प्रभाव का संतुलन

- ये रेलवे लाइनें संवेदनशील सिलीगुड़ी कॉरिडोर (चिकन नेक क्षेत्र) के पास स्थित हैं, जो भारत के मुख्य भूभाग को उसके पूर्वोत्तर राज्यों से जोड़ने वाली एक संकरी पट्टी है।
- इस क्षेत्र में सुरक्षा और आपूर्ति श्रृंखलाओं को बेहतर बनाकर, यह परियोजना चीन के बढ़ते क्षेत्रीय प्रभाव के मद्देनजर संभावित सुरक्षा जोखिमों को कम करने में सहायता करती है।

क्या हैं चुनौतियाँ?

- **भूमि अधिग्रहण और भू-भाग**: दक्षिणी भूटान और पूर्वोत्तर भारत में पहाड़ी एवं वनाच्छादित भू-भाग है, जिससे भूमि अधिग्रहण जटिल तथा समय लेने वाला हो जाता है।
  - स्थानीय समुदायों से बातचीत और पर्यावरणीय स्वीकृतियाँ प्राप्त करना विलंब का कारण बन सकता है।
- **निर्माण और इंजीनियरिंग**: इन परियोजनाओं में चुनौतीपूर्ण स्थलाकृति में कई पुलों, वायाडक्ट्स और अंडरपास की आवश्यकता होगी।
  - भूस्खलन, नदी में बाढ़ और भूकंपीय गतिविधियों जैसे भूवैज्ञानिक खतरों की आशंका है।
- **रणनीतिक और भू-राजनीतिक जोखिम**: चीन–भूटान–भारत सीमा के निकटता के कारण अवसंरचना सुरक्षा और रणनीतिक विचार आवश्यक हैं।

आगे की राह

- ये रेलवे परियोजनाएं भारत–भूटान संबंधों में एक ऐतिहासिक उपलब्धि को चिह्नित करती हैं, जो हिमालयी राष्ट्र के लिए पहली बार रेल संपर्क स्थापित करेंगी।
- सावधानीपूर्वक कार्यान्वयन और द्विपक्षीय सहयोग के साथ, यह परियोजना दोनों देशों एवं व्यापक पूर्वी हिमालयी क्षेत्र के लिए एक परिवर्तनकारी अवसंरचना पहल बनने की संभावना रखती है।

Source: IE

संशिप्त समाचार

नासा ने इंटरस्टेलर मैपिंग एंड एक्सेलेरेशन प्रोब(IMAP)

समाचार में

- नासा ने इंटरस्टेलर मैपिंग एंड एक्सेलेरेशन प्रोब (IMAP) लॉन्च किया है, जिसका उद्देश्य हेलियोस्फीयर की सीमा का मानचित्रण करना, ऊर्जावान कणों को ट्रैक करना और अंतरिक्ष मौसम पूर्वानुमान को बेहतर बनाना है।

इंटरस्टेलर मैपिंग एंड एक्सेलेरेशन प्रोब (IMAP)

- यह एक अंतरिक्ष मिशन है जिसे हेलियोस्फीयर—सौर मंडल के चारों ओर सूर्य की सुरक्षात्मक परत—और इंटरस्टेलर अंतरिक्ष के साथ इसकी अंतःक्रिया का अध्ययन करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
- यह पृथ्वी-सूर्य लैग्रेंज बिंदु 1 (L1) पर स्थित है।
- यह सौर पवन, ऊर्जावान कणों, चुंबकीय क्षेत्रों और ब्रह्मांडीय अवशेषों का अध्ययन करने के लिए 10 उपकरणों का उपयोग करता है।

विशेषताएँ और उद्देश्य

- इसका उद्देश्य यह पता लगाना है कि सौर कणों को कैसे ऊर्जा प्राप्त होती है और हेलियोस्फीयर पृथ्वी को आकाशगंगीय विकिरण से कैसे बचाता है।

- यह अंतरिक्ष यात्रियों और तकनीक की सुरक्षा के लिए वास्तविक समय में अंतरिक्ष मौसम डेटा भी प्रदान करता है, साथ ही ब्रह्मांडीय पदार्थों एवं ग्रहों की प्रणाली की रहने योग्य स्थिति की हमारी समझ को आगे बढ़ाता है।

Source :TH

भारत मजबूत जनादेश के साथ आईसीएओ परिषद में पुनः निर्वाचित

समाचार में

- भारत को अंतरराष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन (ICAO) की परिषद के भाग II में 2025–2028 कार्यकाल के लिए पुनः निर्वाचित किया गया है, जो अंतरराष्ट्रीय नागरिक उड्डयन में भारत के नेतृत्व पर वैश्विक विश्वास को दर्शाता है।

अंतरराष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन (ICAO) की परिषद

- यह 1944 में स्थापित एक विशिष्ट संयुक्त राष्ट्र एजेंसी है जो 193 देशों को सुरक्षित, कुशल और सतत वैश्विक हवाई यात्रा के लिए सहयोग करने में सहायता करती है।
- ICAO परिषद का भाग II उन देशों से बना होता है जो अंतरराष्ट्रीय नागरिक हवाई नेविगेशन की सुविधाओं के प्रावधान में सबसे बड़ा योगदान देते हैं।
- ICAO की महासभा, जो प्रत्येक तीन वर्षों में आयोजित होती है, संगठन की सर्वोच्च इकाई होती है और इसमें शिकागो कन्वेंशन के सभी 193 हस्ताक्षरकर्ता देश शामिल होते हैं।
- महासभा के दौरान चुनी गई 36-सदस्यीय परिषद ICAO की शासी इकाई के रूप में तीन वर्ष का कार्यकाल पूरा करती है।

प्रगति

- इसने एक तीव्र और विश्वसनीय अंतरराष्ट्रीय हवाई नेटवर्क के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जो लोगों को जोड़ता है और वैश्विक आर्थिक विकास को बढ़ावा देता है।
- यह साझेदारियों को सुदृढ़ करके और विशेषज्ञ मार्गदर्शन प्रदान करके सतत तथा रणनीतिक समाधानों के साथ अंतरराष्ट्रीय हवाई परिवहन के भविष्य को आकार दे रहा है।

क्या आप जानते हैं?

- भारत ICAO का संस्थापक सदस्य रहा है (1944 से) और विगत 81 वर्षों से परिषद में निरंतर उपस्थिति बनाए रखी है।
- देश ICAO के मिशन को सुरक्षित, संरक्षित, सतत और समावेशी अंतरराष्ट्रीय नागरिक उड्डयन को बढ़ावा देने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता रहा है।
- 2025–2028 कार्यकाल के लिए भारत ने विमानन सुरक्षा, संरक्षा और सततता को सुदृढ़ करने; वैश्विक हवाई संपर्क में समान विकास को बढ़ावा देने; प्रौद्योगिकी और नवाचार को आगे बढ़ाने; एवं ICAO की "नो कंट्री लेफ्ट बिहाइंड" पहल का समर्थन करने की अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया है।

Source :PIB

राष्ट्रपति अंगरक्षक को डायमंड जुबली सिल्वर ट्रंपेट और ट्रंपेट बैनर प्रदान किया गया

समाचार में

- राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति अंगरक्षक (PBG) को डायमंड जुबली सिल्वर ट्रंपेट और ट्रंपेट बैनर प्रदान किया, जो 1950 में इसे विशिष्ट रेजिमेंट के रूप में नामित किए जाने के 75 वर्ष पूरे होने का प्रतीक है।

क्या आप जानते हैं?

- राष्ट्रपति अंगरक्षक को सिल्वर ट्रंपेट और ट्रंपेट बैनर प्रदान करने की परंपरा भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉ. राजेन्द्र प्रसाद द्वारा शुरू की गई थी, जिन्होंने 14 मई 1957 को यह सम्मान प्रदान किया था।

राष्ट्रपति अंगरक्षक

- राष्ट्रपति अंगरक्षक भारतीय सेना की सबसे पुरानी रेजिमेंट है, जिसकी स्थापना 1773 में गवर्नर-जनरल के अंगरक्षक के रूप में हुई थी, जिसे बाद में वायसराय के अंगरक्षक के नाम से जाना गया।

- भारत के गणराज्य बनने के बाद, इस रेजिमेंट का नाम 27 जनवरी 1950 को राष्ट्रपति अंगरक्षक रखा गया।
- PBG एकमात्र रेजिमेंट है जिसे दो 'स्टैंडर्ड' रखने की अनुमति है— राष्ट्रपति का अंगरक्षक स्टैंडर्ड और PBG का रेजिमेंटल स्टैंडर्ड।

IE+DD+Air+PIB

पाक खाड़ी में भारत का प्रथम डुगोंग संरक्षण रिजर्व

समाचार में

- अंतरराष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ (IUCN) ने तमिलनाडु के पाल्क बे में भारत के प्रथम डुगोंग संरक्षण आरक्षित क्षेत्र को आधिकारिक रूप से मान्यता दी है, जो 2025 के IUCN विश्व संरक्षण कांग्रेस में घोषित किया गया।

डुगोंग संरक्षण आरक्षित क्षेत्र

- यह सितंबर 2022 में तमिलनाडु सरकार द्वारा वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 के अंतर्गत स्थापित किया गया था।
- यह उत्तरी पाल्क बे में 448.34 वर्ग किमी क्षेत्र को कवर करता है और 12,250 हेक्टेयर से अधिक समुद्री घास के मैदानों का घर है, जो डुगोंग (Dugong dugon) के लिए महत्वपूर्ण आहार स्थल हैं।

डुगोंग (Dugong dugon)

- ये मैनाटी के समान प्रजाति के हैं, जिनका शरीर भारी होता है लेकिन पूंछ डॉल्फिन जैसी होती है।
- डुगोंग मुख्य रूप से शाकाहारी होते हैं और प्रतिदिन 30 से 40 किलोग्राम समुद्री घास चरते हैं।
- इन्हें "समुद्री गाय" कहा जाता है और ये भारतीय तथा पश्चिमी प्रशांत महासागर के उथले तटीय जल में शांतिपूर्वक समुद्री घास चरते हैं।
- इन्हें प्रायः "समुद्र के किसान या माली" कहा जाता है क्योंकि ये तटीय पारिस्थितिकी तंत्र को संरक्षित करने और मछली उत्पादन में सहायता करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

भौगोलिक विस्तार

- ये सौम्य विशाल जीव उष्ण जलवायु वाले तटीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं, विशेष रूप से शांत और संरक्षित स्थानों जैसे खाड़ियों और लैगून में समुद्री घास के मैदानों तक सीमित रहते हैं।
- भारत में ये मन्नार की खाड़ी, पाल्क बे, कच्छ की खाड़ी और अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में पाए जाते हैं।

खतरे

- विगत कई दशकों से इनकी जनसंख्या में गिरावट देखी गई है, जिसका कारण मांस के लिए शिकार, व्यावसायिक मछली पकड़ने की प्रक्रियाएं जिनसे दुर्घटनावश डूबने की घटनाएं होती हैं, और आवास का क्षरण है।

संरक्षण स्थिति

- यह प्रजाति अंतरराष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ (IUCN) की रेड लिस्ट में विलुप्त होने की आशंका वाली श्रेणी में सूचीबद्ध है।
- कभी भारतीय जल में प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाले डुगोंग अब वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 की अनुसूची I के अंतर्गत संरक्षित हैं।

Source :TH

भुगतान नियामक बोर्ड (PRB)

समाचार में

- भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने देश की भुगतान प्रणालियों की निगरानी के लिए छह सदस्यीय भुगतान विनियामक बोर्ड (Payments Regulatory Board - PRB) का गठन किया है।

भुगतान विनियामक बोर्ड (PRB)

- PRB ने भुगतान और निपटान प्रणाली के विनियमन और पर्यवेक्षण के लिए गठित बोर्ड (BPSS) का स्थान लिया है, जो RBI के केंद्रीय बोर्ड की एक समिति थी।
- नया बोर्ड भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 से अपनी अधिकारिता प्राप्त करता है।

- यह RBI के भुगतान और निपटान प्रणाली विभाग (DPSS) द्वारा समर्थित होगा, जो सीधे बोर्ड को रिपोर्ट करेगा।

संरचना

- इसका अध्यक्ष RBI के गवर्नर संजय मल्होत्रा होंगे।
- PRB में दो अन्य RBI अधिकारी शामिल होंगे— डिप्टी गवर्नर और भुगतान प्रणाली के कार्यकारी निदेशक।
- इसके अतिरिक्त तीन केंद्रीय सरकार के नामित सदस्य होंगे: वित्तीय सेवाओं और इलेक्ट्रॉनिक्स एवं आईटी के सचिव, तथा पूर्व दूरसंचार सचिव अरुणा सुंदरराजन।
- निर्णय बहुमत से लिए जाएंगे, और यदि मत बराबर हों तो अध्यक्ष (या अनुपस्थिति में डिप्टी गवर्नर) को निर्णायक मत देने का अधिकार होगा।
- बोर्ड को वर्ष में कम से कम दो बार बैठक करनी होगी, और यदि अध्यक्ष निर्देश दें तो निर्णय परिपत्र के माध्यम से भी लिए जा सकते हैं।
- RBI के प्रमुख कानूनी सलाहकार को PRB बैठकों में स्थायी आमंत्रित सदस्य के रूप में शामिल किया जाएगा।

कार्य

- बोर्ड सभी भुगतान प्रणालियों— इलेक्ट्रॉनिक और गैर-इलेक्ट्रॉनिक, घरेलू और सीमा-पार प्रणालियों— के विनियमन और पर्यवेक्षण के लिए उत्तरदायी होगा।

Source :IE

भारत में आकस्मिक मृत्यु और आत्महत्याएँ: एनसीआरबी रिपोर्ट (2023)

संदर्भ

- हाल ही में राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) ने "भारत में आकस्मिक मृत्यु और आत्महत्याएं 2023" रिपोर्ट जारी की, जो भारत के सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा परिदृश्य की एक झलक प्रस्तुत करती है।

रिपोर्ट के प्रमुख निष्कर्ष (2023)

- **आयु वर्ग**:
  - 30–45 वर्ष: 31.7% (1,40,933 मृत्युएँ)

Accidents in India

	2022	2023
Accidental Deaths	4,30,504	4,44,104
*Rate of Accidental Deaths	31.2	31.9

*Accidental Deaths per lakh population

Suicides in India

	2022	2023
Suicides	1,70,924	1,71,418
*Rate of Suicides	12.4	12.3

*Suicides per lakh population

  - 18–30 वर्ष: 24.4% (1,08,254 मृत्युएँ)
- **सड़क दुर्घटनाएं**:
  - भारत में 2023 में सड़क दुर्घटनाओं के कारण 1.73 लाख मृत्युओं और 4.47 लाख घायल हुए—जो विगत वर्ष की तुलना में 1.6% की वृद्धि है।
  - तेज गति और लापरवाह ड्राइविंग: कुल मृत्युओं का 82%
  - दोपहिया वाहन: कुल मृत्युओं का 45.8%, इसके बाद पैदल यात्री
  - अधिकांश घटनाएं शाम 6 बजे से रात 9 बजे के बीच होती हैं, जो पीक आवर्स में बेहतर ट्रैफिक प्रवर्तन और जन जागरूकता की आवश्यकता को दर्शाता है।
- **प्राकृतिक शक्तियों के कारण दुर्घटनाएं**:
  - कुल 6,444 मृत्युएँ प्राकृतिक शक्तियों के कारण हुईं जैसे:
    - आकाशीय बिजली: 39.7%
    - लू लगना: 12.5%
    - ठंड के संपर्क में आना: 11.4%
    - बाढ़
  - 'आकाशीय बिजली' के अंतर्गत सबसे अधिक प्रभावित राज्य/केंद्रशासित प्रदेश: मध्य प्रदेश, बिहार, ओडिशा, उत्तर प्रदेश और झारखंड

- **अन्य कारणों से दुर्घटनाएं:**
  - प्रमुख कारण:
    - ट्रैफिक दुर्घटनाएं: 45.2%
    - अचानक मृत्यु: 14.5%
    - डूबना: 8.6%
    - गिरना: 5.7%
    - विषाक्तता और विद्युत प्रवाह से मृत्यु: 3.2%
- **किसान आत्महत्याएं:**
  - कृषि क्षेत्र में 2023 में कुल 10,786 आत्महत्याएं हुईं (2022 की तुलना में 10% की गिरावट), जिनमें 4,690 किसान और 6,096 कृषि श्रमिक शामिल थे।
  - यह लगभग प्रतिदिन एक किसान आत्महत्या के बराबर है, जो गहरे कृषि संकट को उजागर करता है।
  - महाराष्ट्र में सबसे अधिक 2,518 किसान आत्महत्याएं हुईं, इसके बाद कर्नाटक और आंध्र प्रदेश का स्थान रहा।
- **मानसिक स्वास्थ्य और बीमारी से जुड़ी आत्महत्याएं:**
  - रिपोर्ट में बीमारियों के कारण आत्महत्याओं में 3.2% की वृद्धि को उजागर किया गया है, जिनमें लगभग 20% मामले कैंसर, लकवा और मानसिक स्वास्थ्य विकारों से जुड़े हैं।
  - मानसिक बीमारी के कारण 13,978 आत्महत्याएं दर्ज की गईं।
  - तमिलनाडु, महाराष्ट्र और कर्नाटक ने बीमारी से संबंधित आत्महत्याओं की सबसे अधिक संख्या दर्ज की।
  - चिंताजनक रूप से, कैंसर के कारण आत्महत्याओं में 14% की वृद्धि हुई, और गर्भपात से संबंधित मृत्युओं में 59% की वृद्धि देखी गई।

Source: DTE

मॉडल यूथ ग्राम सभा पहल

संदर्भ

- केंद्र सरकार अक्टूबर 2025 से मॉडल यूथ ग्राम सभा (MYGS) पहल शुरू करने जा रही है, जो मॉडल UN फ्रेमवर्क से प्रेरित है।
- इसका उद्देश्य स्कूल छात्रों में पंचायती राज संस्थाओं के प्रति जागरूकता पैदा करना है।

मॉडल यूथ ग्राम सभा (MYGS) के बारे में

- यह पहल ग्रामीण और आदिवासी छात्रों को बुनियादी स्तर की लोकतंत्र की शिक्षा देने के लिए तैयार की गई है।
- **दृष्टिकोण**: एक नई पीढ़ी के जागरूक और जिम्मेदार नागरिकों को तैयार करना, जो स्थानीय शासन को विकास एवं सामाजिक न्याय का केंद्र मानते हैं।
  - इस कार्यक्रम में छात्र नकली ग्राम सभा सत्रों में भाग लेते हैं, जहाँ वे सरपंच और वार्ड सदस्य जैसे किरदार निभाते हैं, गाँव की समस्याओं पर चर्चा करते हैं और प्रस्ताव पारित करते हैं।
  - प्रत्येक स्कूल को यह गतिविधि आयोजित करने के लिए ₹20,000 की वित्तीय सहायता दी जाती है।
- **क्रियान्वयन मंत्रालय**: पंचायती राज मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय और जनजातीय कार्य मंत्रालय के सहयोग से।

योजना का क्रियान्वयन

- **चरणबद्ध शुरुआत**: इस पहल के प्रथम चरण में लगभग 1,100–1,200 स्कूलों को शामिल किया गया।
  - **प्रथम चरण में भाग लेने वाले संस्थान**:
    - देशभर के 600 से अधिक जवाहर नवोदय विद्यालय (JNV)
    - आदिवासी क्षेत्रों में 200 एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय (EMRS)
    - महाराष्ट्र और कर्नाटक के चयनित सरकारी स्कूल

Source: IE

बथुकम्मा महोत्सव ने बनाए दो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड

संदर्भ

- बथुकम्मा उत्सव ने सबसे बड़े पुष्प सजावट और सबसे अधिक समन्वित महिला नृत्य प्रतिभागियों के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड स्थापित किया है।

परिचय

- बथुकम्मा संरचना को लगभग 300 श्रमिकों द्वारा धातु, बांस और फूलों से बनाया गया था, जिसे पूरा करने में 72 घंटे लगे।
- बथुकम्मा उत्सव मुख्य रूप से तेलंगाना में मनाया जाता है।

- महिलाएं बड़ी संख्या में एकत्र होकर जटिल पुष्प ढेर बनाती हैं, प्रार्थना करती हैं और देवी गौरी तथा फसल के मौसम का उत्सव मनाते हुए वृत्ताकार नृत्य करती हैं।

बथुकम्मा उत्सव के बारे में

- "बथुकम्मा" शब्द का अर्थ है "माँ देवी जीवित हो जाएं", जो दिव्य स्त्री ऊर्जा और सुरक्षा को दर्शाता है।
- लोककथाएं इस उत्सव को देवी गौरी की कथाओं और चोल वंश के राजा धर्मांगदा तथा रानी सत्यवती की कथाओं से जोड़ती हैं।
- बथुकम्मा का समय नवरात्रि के साथ सामंजस्यशील है, जो जीवन, भक्ति और अच्छाई की बुराई पर विजय का उत्सव है।

Source: AIR

नीतिगत प्रसारण को बेहतर बनाने के लिए RBI के नए बैंकिंग मानदंड

संदर्भ

- भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने 1 अक्टूबर 2025 से प्रभावी रूप से नीतिगत प्रसारण को तीव्र करने, सोना और चांदी आधारित ऋण को सरल बनाने, तथा बैंकिंग क्षेत्र की लचीलापन बढ़ाने के लिए प्रमुख सुधारों की घोषणा की है।

परिचय

- **बेसल III में बदलाव**: RBI ने बेसल III पूंजी विनियमों में संशोधन किया है।
  - इसके अंतर्गत विदेशों में जारी परपेचुअल डेट इंस्ट्रूमेंट्स की पात्रता सीमा बढ़ा दी गई है।
  - यह बैंकों को विदेशी बाजार से टियर-1 पूंजी जुटाने में अधिक लचीलापन प्रदान करेगा।
- **सोना और चांदी आधारित ऋण में सुधार**: पहले प्राथमिक सोना या चांदी (ETFs या म्यूचुअल फंड यूनिट्स सहित) के विरुद्ध ऋण देना प्रतिबंधित था।
  - **नया संशोधन**: बैंक और टियर-3/टियर-4 शहरी सहकारी बैंक अब औद्योगिक या उत्पादन उद्देश्यों के लिए कच्चे माल के रूप में सोना या चांदी का उपयोग करने वाले उधारकर्ताओं को कार्यशील पूंजी ऋण प्रदान कर सकते हैं। निवेश या सट्टा उद्देश्यों के लिए सोना रखने वाले व्यक्तियों को इससे बाहर रखा गया है।
- **फ्लोटिंग रेट ऋण में लचीलापन**
  - **स्प्रेड में कटौती**: बैंक अब फ्लोटिंग रेट ऋणों पर तीन वर्ष की लॉक-इन अवधि समाप्त होने से पहले ही स्प्रेड घटा सकते हैं।
  - **फिक्स्ड रेट विकल्प**: ब्याज दर पुनर्निर्धारण के समय उधारकर्ताओं को फिक्स्ड रेट में बदलने का विकल्प दिया जा सकता है, हालांकि अब यह अनिवार्य नहीं है।

- **ड्राफ्ट प्रस्तावों में शामिल हैं:**
  - गोल्ड मेटल लोन की पुनर्भुगतान अवधि को 180 से बढ़ाकर 270 दिन करना।
  - गैर-उत्पादक जौहरियों को इन ऋणों का लाभ देने की अनुमति।
  - विदेशी बैंक शाखाओं के लिए बड़े एक्सपोजर मानदंडों का सरेखण।
  - क्रेडिट ब्यूरो को सटीकता सुधार के लिए साप्ताहिक क्रेडिट डेटा प्रस्तुत करना।
  - ड्राफ्ट पर सार्वजनिक प्रतिक्रिया 20 अक्टूबर तक आमंत्रित है।

क्या आप जानते हैं?

- स्प्रेड उस अतिरिक्त प्रतिशत को कहते हैं जिसे बैंक उधारकर्ता को अंतिम ऋण दर तय करते समय बाहरी बेंचमार्क दर या मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स आधारित ऋण दर (MCLR) में जोड़ते हैं।
- बैंक सामान्यतः उधारकर्ता की क्रेडिट जोखिम प्रोफाइल, संचालन लागत और ऋण की अवधि को ध्यान में रखते हुए स्प्रेड तय करते हैं।
- पहले उधारकर्ता पर लगाया गया स्प्रेड केवल तीन वर्षों में एक बार परिवर्तित किया जा सकता था।

सुधारों का महत्व

- **उधारकर्ताओं के लिए:**
  - नीतिगत दरों में कटौती का लाभ तीव्रता से मिलने से ब्याज भार में कमी।
  - औद्योगिक सोना और चांदी उपयोगकर्ताओं के लिए कार्यशील पूंजी ऋण की पहुंच।
  - ऋण विकल्पों को चुनने में अधिक लचीलापन।
- **बैंकों के लिए:**
  - स्प्रेड और क्रेडिट एक्सपोजर को प्रबंधित करने की बेहतर क्षमता।
  - अंतरराष्ट्रीय बाजारों से टियर-1 पूंजी जुटाने में लचीलापन।

Source: FE

निर्यातित उत्पादों पर शुल्कों और करों में छूट (RoDTEP) प्रोत्साहन योजना

संदर्भ

- सरकार ने निर्यातकों के लिए शुल्क और करों की वापसी योजना (RoDTEP) को 31 मार्च 2026 तक बढ़ा दिया है।

परिचय

- यह योजना 2021 में शुरू की गई थी और यह निर्यातकों को उन अंतर्निहित शुल्कों, करों और अधिभारों की वापसी प्रदान करती है जो अन्य योजनाओं के अंतर्गत पहले से वापस नहीं किए गए हैं।
- संशोधित दरें 0.3% से 3.9% के बीच होंगी और ये सभी पात्र निर्यात उत्पादों पर लागू रहेंगी।
- **मंत्रालय**: वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय
- 31 मार्च 2025 तक RoDTEP योजना के अंतर्गत कुल वितरण ₹57,976.78 करोड़ को पार कर गया है, जो भारत के माल निर्यात को समर्थन देने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका को दर्शाता है।
- यह योजना विश्व व्यापार संगठन (WTO) के मानदंडों के अनुरूप है और पारदर्शिता एवं दक्षता सुनिश्चित करने के लिए एक समग्र एंड-टू-एंड डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से लागू की जाती है।
- **महत्व**
  - उन घरेलू करों के प्रभाव को समाप्त करता है जिन्हें निर्यातक वापस नहीं ले सकते।
  - लागत को कम करके अधिक निर्यात को प्रोत्साहित करता है।

Source: TH